8/9/20 ~~प्रार्थी~~ प्रार्थी अधिवक्ता ने पत्रावली तलब कर राजीनामा प्रार्थना-पत्र पेश कर दावा विड्रॉ करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली आज ता.पे. पर ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया अब पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहते है मूल वाद भी जरिए विड्रॉल खारिज किया गया है अतः इस पत्रावली को आगे चलाने कोई औचित्य नहीं रह जाता है पत्रावली जरिए विड्रॉल खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवम

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां।

प्रार्थना पत्र संख्या:—394 / 2017

तारीख पेशी— 22.09.2020

**प्रार्थी** **बनाम** **अप्रार्थीगण**

रूपदान उच्छब कंवर वगैरा

**पत्रावली तलब कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विड्रोल करवाने बाबत्।**

मान्यवरजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि:—

1. यह है कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा में एक स्थगन प्रार्थना पत्र रूपदान बनाम उच्छब कंवर वगैरा प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। जिसकी तारीख पेशी 22.09.2020 मुकर्रर है।
2. यह है कि वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा अब प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रार्थी उक्त पत्रावली आज ही तलब कर अपना प्रार्थना पत्र विड्रोल करना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को पत्रावली तलब कर विड्रोल के निस्तारण फरमाया जावें।

दिनांक:— 9/9/2020

प्रार्थी जरिये अधिवक्ता

Adv. RajEndra Kumar Chaudhary

Scanned with CamScanner